अध्याय 5

कोयला आधारित 2X500 मे.वा. टीपीएस–एनटीपीएल, तुतीकोरिन, तमिलनाडु

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम

कोल इंडिया लिमिटेड

कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) निजी कोयला खानों को सरकार के स्वामित्व में लेते हुए एक संगठित राज्य स्वामित्व वाले कोयला खनन कार्पोरेट के रूप में नवम्बर, 1975 में अस्तित्व में आया। हालांकि अपने शुरूआती वर्ष में इसने 79 मिलियन टन का कम उत्पादन दर्ज किया परन्तु आज विश्व में एक सबसे बड़ा कोयला उत्पादक बन गया है।

सीआईएल खान से बाजार तक सर्वोत्तम पद्धतियों के जरिए पर्यावरण की दृष्टि से और सामाजिक तौर पर सतत वृद्धि प्राप्त करते हुए प्रमुख ऊर्जा क्षेत्र में एक वैश्विक कंपनी के रूप में उभरने के लिए एक समग्र योजना के दायरे के भीतर कार्य करता है। कोल इंडिया लि., धारक कंपनी जिसका मुख्यालय कोलकाता में हैं, के प्रमुख एक अध्यक्ष है। उनकी सहायता के लिए चार कार्यकारी निदेशक अर्थात निदेशक (तकनीकी), निदेशक (कार्मिक तथा औद्योगिक संबंध), निदेशक (वित्त) और निदेशक (विपणन) हैं। सीआईएल के प्रत्येक सहायक कंपनियों के अपने निदेशक मंडल हैं जिनके प्रमुख अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक हैं। इसके अलावा, सातों उत्पादन कंपनियों में 4–4 कार्यकारी निदेशक हैं। एक अन्य सहायक कंपनी सेंट्रल माईन प्लानिंग एंड डिजायन इंस्टीट्यूट लि. (सीएमपीडीआईएल) है। इसके अतिरिक्त, सीआईएल तथा उसकी सहायक कंपनियों के निदेशक बोर्ड में अंश–कालिक अथवा मनोनीत निदेशकों की नियुक्ति कंपनी के संगम अनुच्छेद तथा सरकार द्वारा इस संबंध में समय–समय पर निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार की जाती है।

सीआईएल की रणनीतिक संबद्धता

- भारत के समग्र कोयला उत्पादन का लगभग 84% उत्पादन करता है
- भारत में सीईए द्वारा निगरानी रखे जा रहे कोयला आधारित 127 में से 126 थर्मल विद्युत संयंत्रों की पूर्ति करता है।
- उपयोगिता क्षेत्र (सीईए) के कुल 76% थर्मल पावर उत्पादन क्षमता के लिए जिम्मेदार है।
- अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में की गई कमी के आधार पर कोयले की आपूर्ति करता है।
- भारतीय कोयला उपभोक्ताओं को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मूल्य के उतार–चढ़ाव को झेल पाने लायक बनाता है।
- अन्त्य उपयोगकर्त्ता उद्योग को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाता है।

2018–19 में उपलब्धियां

- सीआईएल ने उत्पादन और उठान में वृद्धि दर को कायम रखते हुए पहली बार वित्तीय वर्ष 2019 की समाप्ति में कोयले के उत्पादन और उठान के 600 मि.ट. मार्क को पार किया है जो क्रमशः 7% और 4.8% की वृद्धि है।
- हाल ही के वर्षों में विश्व के सबसे बड़े कोयला उत्पादक की यह उत्साहवर्धक उत्पादन गति इस तथ्य का साक्ष्य थी कि मात्र **तीन वर्ष** की अवधि में यह 500 मि.ट. से 600 मि.ट. के उत्पादन तक बढ़ गई जबकि 400 मि.ट. से 500 मि.ट. तक के उत्पादन तक पहुंचने में कंपनी को **सात वर्ष** लग गए।
- वित्तीय वर्ष 2019 के लिए ईसीएलए सीसीएलए एमसीएल और डब्ल्यूसीएल ने अपने– अपने उत्पादन लक्ष्य को पार कर लिया है। एनसीएल ने एसईसीएल और एमसीएल के बाद सीआईएल की 100 मि.ट. उत्पादन करने वाली तृतीय सहायक कंपनी बनने की प्रक्रिया में 100 मि.ट. उत्पादन करने वाली कंपनी के अपने उत्पादन लक्ष्य को वित्तीय वर्ष समाप्त होने से 5 दिन पूर्व प्राप्त कर लिया। एक अन्य नई उच्च कंपनी एसईसीएलए 150 मि.ट. उत्पादन को क्रूज ओवर करने वाली पहली नई सहायक कंपनी बन गई। ईसीएल और डब्ल्यूसीएल पहली बार 50 मि.ट. से अधिक उत्पादन करने वाली कंपनियां बनी।
- देश के थर्मल पावर संयंत्रों को कोयले की आपूर्ति में एक नई ऊँचाई प्राप्त करते हुए, वित्तीय वर्ष 2019 के अंत में, सीआईएल के स्रोतों ने पिछले वर्ष में 454 मि.ट. की तुलना में 488 मि.ट. कोयले की आपूर्ति की, जो पिछले वर्ष की तुलना में मात्रा में वृद्धि के रूप में 34 मि.ट. और साल–दर–साल 7.4% की वृद्धि है।

- कोयले की आवश्यकता के कारण वित्तीय वर्ष 2019 के अंत में कोई भी विद्युत स्टेशन सीईए की क्रिटिकल अथवा सुपरक्रिटिकल सूची में नहीं है। पिछले वित्तीय वर्ष के अंत में 28 विद्युत संयंत्र क्रिटीकल मोड़ में थे।
- वित्तीय वर्ष 2018–19 के दौरान विद्युत क्षेत्र को रेक लदान में 11.2% की वृद्धि हुई। सीआईएल द्वारा पिछले वित्तीय वर्ष में 229.8 रेक /दिन के मुकाबले वित्तीय वर्ष 2019 को समाप्त होने वाली अवधि में विद्युत स्टेशनों को औसतन 255.6 रेक/दिन लदान किए गए जो स्पष्ट रुप से 25.8 रेक/दिन की वृद्धि है।
- वित्तीय वर्ष 2019 के दौरान, रेलवे, एमओसी और एमओपी के बीच तालमेल के परिणामस्वरुप रैक लदान में 5.6% की **समग्र वृद्धि** हुई क्योंकि सीआईएल ने पिछले वित्तीय वर्ष में 265.8 रैक की तुलना में इस वित्तीय वर्ष के दौरान औसतन 280.7 रैक/दिन का लदान किया। ये वृद्धि पूर्णतः 14.9 प्रति दिन है।
- वित्तीय वर्ष 2018–19 के अंत में सीआईएल के पिटहेड्स में लगभग 54 मि.ट. का पर्याप्त कोयला भंडार है। विद्युत स्टेशनों और पिटहेड्स, दोनों को मिलाकर 84.41 मि.ट. का सम्मिलित भंडार देश में विद्युत की मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त है।
- 44.37 कि.मी. की टोरी–शिवपुर सिंगल लाइन सितम्बर, 2018 में पूरी हो गई है और यह प्रचालनाधीन है।
- 52.41 कि.मी. का झारसुगुड़ा–बारपल्ली–सरडेगा रेल लिंक अप्रैल, 2018 में प्रारंभ कर दिया गया है।
- खरसिया से कोरी छप्पर तक 44 कि.मी. की पहली सीईआरएल फेज–I ट्रैक लिंकिंग पूरी हो गई है।

सीआईएल में परिवर्तनकारी मानव संसाधन पहलः

- वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिए एमओयू के मानव संसाधन मानकों के भाग के रुप में आंतरिक संसाधनों के माध्यम से मानव संसाधन ऑडिट और पी–सीएमएम स्तर का आकलन किया गया।
- कर्मचारी स्वयं सेवा (ईएसएस) मॉड्यूल शुरु करके मौजूदा सिस्टम को ऑनलाइन मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली (एचआरएमएस) के रुप में उन्नत किया गया है।

सीआईएल के लोगों का कार्य–निष्पादन

कर्मचारी भारत में कोयला खनन के केंद्रीय विषय हैं और सीआईएल में लोगों की प्रक्रियाओं में न केवल कंपनी के प्रचालनों की मूल्य श्रृंखला में कई हितधारक शामिल हैं, बल्कि ऐसे प्रचालनों से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होने वाले लोग भी शामिल हैं। कई हितधारकों में कंपनी के स्वयं के कर्मचारी और उनके परिवार, लगभग 71,280 ठेकेदार के श्रमिक, कोयला क्षेत्रों के आसपास के ग्रामीण, सहायक उद्योग, कोलफील्ड्स आदि में प्रचालनरत सरकारी और गैर सरकारी एजेंसियां शामिल हैं। कोल इंडिया लि. एक बड़े सामाजिक उद्देश्य के साथ, सभी हितधारकों के लिए पूर्ण रुप से प्रतिबद्ध है और उपयुक्त विकास के लिए अपने लोगों, नीतियों और कार्यक्रमों पर केंद्रित होते हुए कंपनी के हितधारकों की बदलती हुई जरूरतों के साथ सामंजस्य हेतु निरंतर प्रयासरत है।

➢ जनशक्ति

01.03.2019 की स्थिति के अनुसार सीआईएल तथा उसकी सहायक कंपनियों की कुल जनशक्ति 2,86,429 हैं। जनशक्ति की कंपनी–वार स्थिति निम्नानुसार हैः

क्र.सं.	कंपनी	01.03.2018 की स्थिति के अनुसार जनशक्ति	01.03.2019 की स्थिति के अनुसार जनशक्ति
1	ईसीएल	61939	59878
2	बीसीसीएल	48924	46242
3	सीसीएल	40840	39264
4	डब्ल्यूसीएल	45796	43141
5	एसईसीएल	58816	55350
6	एमसीएल	22497	22441
7	एनसीएल	15024	14515
8	सीएमपीडीआई	3386	3287
10	सीआईएल (मुख्यालय) और एनईसी	2481	2311
योग		**299703**	**286429**

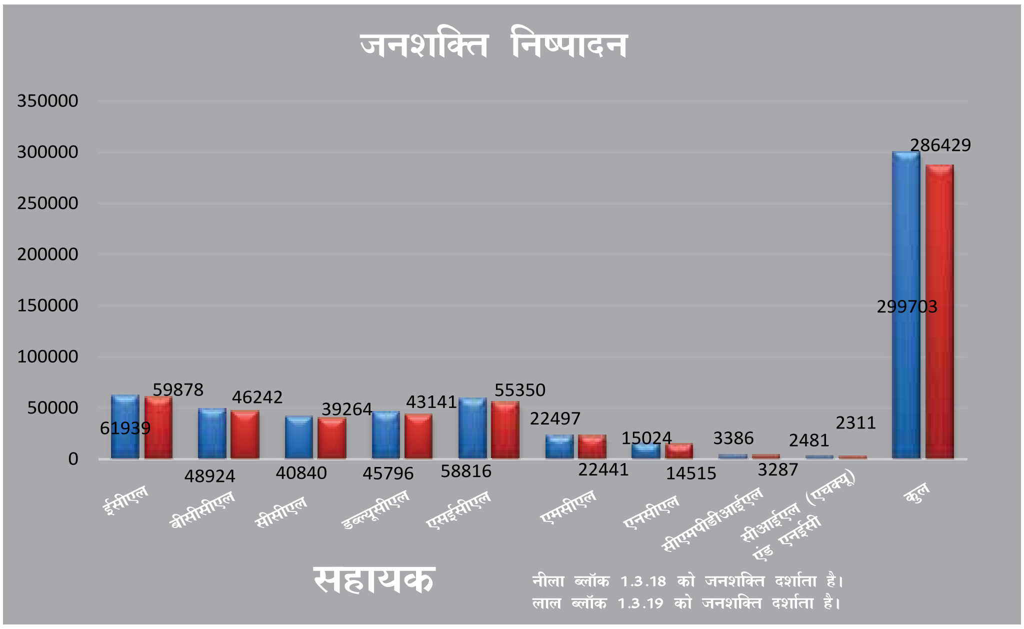

कर्मचारी कल्याण

अपने कर्मचारियों और उनके परिवारों के कल्याण के लिए कोल इंडिया लिमिटेड के कल्याण कार्यकलाप नीचे दिए गए है:

क) आवासीय सुविधाएं

- सीआईएल फर्नीचर तथा घरेलू सामान क्रय योजना के तहत अग्रिम धनराशि को नियमों के अंतर्गत लाते हुए गृह निर्माण अग्रिम धनराशि की मौजूदा अधिकतम सीमा को 2.5 लाख रु. से संशोधित करके 30 लाख रु. करना।
- सीआईएल फर्नीचर तथा घरेलू सामान क्रय योजना तैयार की गई है और दिनांक 08.05.2018 के सीआईएल का.ज्ञा.सं. सीआईएल/सी5ए(पीसी)/फर्नीचर/2827 के माध्यम से की गई है।

ख) जल आपूर्ति

- कर्मचारियों और उनके परिवारों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के लिए कई जल–आपूर्ति योजनाएं शुरु की गई हैं। उपयुक्त शोधन के पश्चात जल की आपूर्ति की जाती है और कई आरओ प्लांट्स भी मौजूद है।

ग) शैक्षिक सुविधाएं

- सीआईएल और इसकी सहायक कंपनियां कर्मचारियों के बच्चों को बेहतर शिक्षा प्रदान करने हेतु खनन क्षेत्रों में स्कूल चलाने वालों जैसे कि डीएवीए केंद्रीय विद्यालय दिल्ली पब्लिक स्कूल तथा राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे शैक्षिक संस्थानों को वित्तीय सहायता अवसंरचना सुविधाएं प्रदान करती है। कर्मचारियों को उनके बच्चों को शिक्षित करने में मदद करने हेतु निम्नलिखित योजनाएं भी चलायी जा रही है:–

i. कोल इंडिया छात्रवृति योजना:

- कतिपय निबंधनों एवं शर्तों के तहत कर्मचारियों के बच्चों के लिए प्रत्येक वर्ष दो प्रकार की छात्रवृति नामतः योग्यता एवं सामान्य छात्रवृति प्रदान की जा रही है।

ii. नकद पुरस्कार और प्रशंसा प्रमाण पत्र

- प्रत्येक वर्ष सीआईएल कर्मचारियों के उन प्रतिभाशाली बच्चों को 5000 रु. और 7000 रु. के नकद पुरस्कार दिए जाते हैं जो 10वीं और 12वीं स्तर की बोर्ड स्तरीय परीक्षा में 90% अथवा इससे अधिक कुल अंक प्राप्त करते हैं।

- देश में तकनीकी एवं चिकित्सा शिक्षा की उच्च लागत को देखते हुए सीआईएल वेज बोर्ड कर्मचारियों के उन आश्रित बच्चों को जो इंजीनियरिंग कॉलेजों जैसे किए आईआईटी, एनआईटी, आईएसएम और सरकारी इंजीनियरिंग और चिकित्सा कॉलेज में प्रवेश लेते हैं, को शिक्षा की लागत को पूरा करने के लिए ट्यूशन फीस और हॉस्टेल प्रभार की मात्रा तक वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

घ) चिकित्सा सुविधाएं

- कोल इंडिया लिमिटेड और इसकी सहायक कंपनियां कोलफील्ड्स के विभिन्न भागों में औषधालयों के स्तर से केंद्रीय एवं शीर्ष अस्पतालों के माध्यम से कर्मचारियों को चिकित्सा सुविधाएं प्रदान कर रही हैं। विशेष उपचार जिनके लिए विशेषज्ञता/सुविधाएं उपलब्ध नहीं है, के लिए उन्हें बाहर उपचार हेतु सूचिबद्ध अस्पतालों में भी रैफर किया जाता है। इसके अलावा, कर्मचारियों एवं उनके परिवारों के लिए व्यावसायिक स्वास्थ्य, एचआईवी(एड्स) जागरुकता कार्यक्रम पर विशेष बल दिया गया है। दिनांक 08.05.2018 के सीआईएल के का.ज्ञा. सं. सीआईएल/सी5ए(पीसी)/एमएआर/2829 के माध्यम से सीआईएल मेडिकल अटेंडेंस रुल्स (एमएआर) में सुधार करके लंबे समय से चल रही पुरानी एमएआर दरों को सीजीएचएस दरों के अनुरुप किया गया था।

ङ) सांविधिक कल्याण सुविधाएं

- कोल इंडिया लिमिटेड की सहायक कंपनियां खान अधिनियम, 1952 के उपबंधों एवं इनके तहत बनाए गए नियमों एवं विनियमों के अनुसार कोयला खानों के लिए विभिन्न सांविधिक कल्याण सुविधाएं जैसे कि कैंटीन, रेस्ट शेल्टर्स चला रही हैं।

च) गैर–सांविधिक कल्याण उपाय

i) सहकारी भंडार और ऋण समितियां

कोलियरीज में आवश्यक वस्तुएं और उपभोक्ता सामान सस्ती दर पर आपूर्ति करने की दृष्टि से सीआईएल के कोलफील्ड क्षेत्रों में केंद्रीय सहकारी और प्रारंभिक सहकारी भंडार कार्यरत हैं। इसके अलावा, कोयला कंपनियों में सहकारी ऋण समितियां भी कार्यरत हैं।

ii) बैंकिंग सुविधाएं

कोयला कंपनियों के प्रबंधन अपने कामगारों के लाभार्थ कोलफील्ड्स में अपनी शाखाएं और एक्सटेंशन काउंटर खोलने के लिए विभिन्न राष्ट्रीयकृत बैंकों को अवसंरचना सुविधाएं प्रदान कर रही हैं। कामगारों को इन बैंको से अपना वेतन निकालने के लिए शिक्षित किया गया है।

iii) अवकाश–गृह

कोल इंडिया लिमिटेड के पास अपने कर्मचारियों और उनके परिवारों के लाभार्थ 6 अवकाशगृह हैं।

कर्मचारी प्रशिक्षण

वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिए सीआईएल के कर्मचारियों की प्रशिक्षण सांख्यिकी निम्नानुसार है:

	2017-18	2018-19
कार्यपालक	18373	17701
गैर– कार्यपालक	89570	91555
योग	107943	109256

उन संविदा कामगारों जिन्हें प्रशिक्षण दिया गया है, का ब्यौरा निम्नानुसार है:

	2017-18	2018-19
कुल संविदा कामगार	67330	71280
प्रशिक्षित किए गए कुल संविदा कामगार	39729	46378

प्रबंधन में कर्मचारियों की भागीदारी

सामान्य तौर पर कर्मचारियों से संबंधित निर्णय कर्मचारियों और प्रबंधन का प्रतिनिधित्व करने वाले द्विपक्षीय मंचों के माध्यम से लिये जाते हैं। सभी परियोजनाओं में जेसीसी, सुरक्षा समिति, आवास समिति, कल्याण समिति, कैंटीन समिति आदि जैसी द्विपक्षीय मंच कार्य कर रहे हैं। इसी प्रकार, औद्योगिक संबंध प्रणाली के तहत कर्मचारियों की सेवा शर्तों, कल्याण और सुरक्षा से जुड़े मुद्दों का समाधान करने के लिए युनिट स्तर, क्षेत्र स्तर और कार्पोरेट स्तर पर आवधिक रूप से द्विपक्षीय बैठकें की जाती हैं। प्रत्येक सहायक कंपनी के पास एक शीर्ष द्विपक्षीय समिति (संयुक्त परामर्शदात्री समिति) है

और कंपनी के अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक इसके अध्यक्ष होते हैं। संयुक्त परामर्शदात्री समिति सामरिक महत्व के विभिन्न मुद्दों और सामान्यतः कर्मचारियों के जीवन की गुणवत्ता से संबंधित मुद्दों पर विचार–विमर्श करती है। इन सभी द्विपक्षीय निकायों का प्रतिनिधित्व कर्मचारी के प्रतिनिधियों द्वारा किया जाता है।

संविदा कामगार

कंपनी निकटवर्ती ग्रामवासियों के लिए रोजगार का स्रोत है। विभिन्न आउटसोर्स कार्यों के लिए पंजीकृत ठेकेदारों के माध्यम से खानों में लगभग 71,280 संविदा कामगारों को नियोजित किया गया है। कंपनी ठेकेदार द्वारा संविदा कामगारों के वेतन और कल्याण से जुड़े सभी विधिक एवं कंपनी मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करती है। खनन गतिविधियों में नियोजित संविदा कामगारों के लिए न्यूनतम मजदूरी निर्धारित की गई है जो उपयुक्त सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी से अधिक है। संविदा कामगारों को खान क्षेत्र में कार्य करने के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण भी प्राप्त करना होता है। उपरोक्त के अलावाए कंपनी संविदा कामगारों को 'संविदा कामगारों को कंपनी की सुविधा' पर निःशुल्क चिकित्सा उपचार सुविधा प्रदान करती है। सभी संविदा कामगारों की चिकित्सा जांच की जाती है, उन्हें सुरक्षा प्रशिक्षण दिया जाता है और निजी बचाव संबंधी उपकरण जैसे कि हेलमेट, माइनिंग शूज, डस्ट मास्क, सेफ्टी लैंप्स और अत्याधिक पानी वाली खानों में गंबूट्स और उचित हुड्स सहित रेनकोट्स दिए जाते हैं। नियमित कर्मचारियों को प्रदान की जा रही कैंटीन, रेस्ट शेलटर्स, प्राथमिक चिकित्सा सुविधाओं आदि सुविधाओं का संविदा कामगारों द्वारा भी उपयोग किया जाता है। कंपनी ने सभी संविदा कामगारों को भारत सरकार की सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के तहत सफलतापूर्वक शामिल किया है। संविदा कामगारों को मजदूरी का भुगतान बैंक के माध्यम से सुनिश्चित किया जाता है ताकि इस विषय में किसी प्रकार के शोषण से बचाया जा सके। घातक खान दुर्घटना से पीड़ित संविदा कामगार को सांविधिक मुआवजे से अधिक 5 लाख रु. तक उपदान का भुगतान किया जाता है।

संविदा श्रमिक (विनियमन एवं संशोधन) अधिनियम, 1971 के अंतर्गत संविदा कामगारों के मजदूरी भुगतान एवं अन्य लाभों के अनुपालन की निगरानी करने हेतु कोल इंडिया लि. ने हाल ही में 'संविदा श्रमिक भुगतान प्रबंधन पोर्टल'(सीएलआईपी) का सृजन किया है। सीआईएल तथा इसकी सहायक कंपनियों में विभिन्न संविदाकारों द्वारा नियुक्त सभी कामगारों का व्यापक डाटाबेस 'बैंक खाता संख्या एवं आधार संख्या' सहित तैयार किया है तथा पोर्टल पर अपलोड किया है। यह पोर्टल सभी संविदाकारों के कामगारों के लिए उपलब्ध है ताकि वे अपनी व्यक्तिगत ब्यौरों सहित मजदूरी दर एवं भुगतान की स्थिति को देख सकें।

इसके अलावा, श्रम और रोजगार मंत्रालय ने 7 दिसंबर, 2015 की अपनी राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से सीआईएल के सहायक कंपनियों को श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा प्रकाशित भारत के राजपत्र, भाग –2 खंड –3 उप–खण्ड (ii) में प्रकाशित दिनांक 21.06.1988 की एसओ 2063 के तहत क्रम सं. 1 से 3 पर निर्दिष्ट (निषिद्ध) कार्यो पर संविदा श्रमिकों को नियोजित करने के लिए छूट दी।

बाल श्रम/बलात मजदूरी/ बंधुआ मजदूर

कंपनी के प्रचालनों में इसकी मूल श्रृंखला में स्वयं कंपनी द्वारा अथवा इसके स्टेक–धारकों द्वारा किसी भी रूप में बाल श्रम, बलात मजदूरों अथवा बंधुआ मजदूरों को नियुक्त करना वर्जित है। खानों में लगाए जाने वाले संविदा कामगारों की अनिवार्य रूप से आरंभिक चिकित्सा जांच के दौरान इसकी मॉनीटरिंग की जाती है।

संघ की स्वतंत्रता

कंपनी के मानव संसाधन प्रबंधन में प्रजातांत्रिक मूल्यों का पक्के तौर पर पालन किया जाता है। कर्मचारियों को छूट है कि वे पंजीकृत ट्रेड यूनियन और अन्य सरकारी/गैर–सरकारी संगठनों के सदस्य बन सकते हैं। कोलफील्डों में सभी केंद्रीय ट्रेड यूनियनों और स्थानीय यूनियनों की शाखाएं हैं। औद्योगिक संबंध प्रणाली के मानकों के अंतर्गत कंपनी के द्विपक्षीय निकायों में उनके प्रतिनिधित्व की अनुमति है।

भेदभाव न करना

कंपनी में कर्मचारी प्रबंधन में भेदभाव न करने के सिद्धांतों का अनुसरण करती है। धर्म, जाति, क्षेत्र, मत, लिंग, भाषा आदि के नाम पर कर्मचारियों में कोई भेदभाव नहीं किया जाता है। सभी कर्मचारियों को सेवा मामलों में समान अवसर दिए जाते हैं। रोजगार में समान अवसर प्रदान करने और सभी कर्मचारियों के लिए एक ऐसा समावेशी कार्य–स्थल एवं कार्य–संस्कृति सृजित करने जिसमें शारीरिक रुप से अक्षम व्यक्तियों के लिए सम्मान और प्रतिष्ठा हो, हेतु सीआईएल में एक समान अवसर नीति तैयार और कार्यान्वित की गई है।

संगठनात्मक संस्कृति निर्माण पहल

संगठन में शामिल होने वाले सभी नए लोगों का प्रोजेक्ट 'आगमन' के तहत स्वागत किया जाता रहा है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कोल

मैनेजमेंट और वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर्स में इन्डक्शन प्रोग्राम के तहत कंपनी में कर्मचारी शामिल किया जाता हैं।

सभी सेवा निवृत्त होने वाले कर्मचारियों को विदाई दी जाती है और उनके टर्मिनल बकाए का भुगतान प्रोजेक्ट 'सम्मान' के तहत किया जाता है। अध्यक्षए सीआईएल और सहायक कंपनियों के अध्यक्ष एव प्रबंध निदेशक संगठन की सफलता के लिए कर्मचारियों और उनके परिवार के सदस्यों द्वारा दिए गए योगदान के प्रति आभार व्यक्त करते हैं।

निरंतर सुधार और ज्ञान प्रबंधन की पहल

इस पहल का उद्देश्य गुणवत्ता का साझाकरण, क्वालिटी सर्किल्स के प्रचालन हेतु के–माइनिंग कम्युनिटीज और इन–सर्कल जैसी तकनीकों के माध्यम से ज्ञान के बंटवारे को बढ़ावा देना, मौन ज्ञान का दस्तावेजीकरण करना और सर्वोत्तम प्रथाएं तैयार करना है। इससे ज्ञान के भंडार का निर्माण होगा और विशेषज्ञों से युवा पीढ़ी को विशेषज्ञता का हस्तांतरण होगा।

के–माइनिंग और इन–सर्कल मॉड्यूल एचआरएमएस के एक भाग का निर्माण करते हैं जो प्रभावी पहुंच के लिए ज्ञान प्राप्त करने और संग्रहीत करने में मदद करता है।

इसके अलावा, केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों के कॉन्क्लेव के परिणामस्वरूप, केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के सभी उद्यमों के लिए एक सामान्य ज्ञान प्रबंधन पोर्टल विकसित किया गया है। इस पोर्टल का प्राथमिक उद्देश्य व्यक्तियों, टीमों और पूरे सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को सामूहिक रूप से और व्यवस्थित रूप से दूसरों के अनुभवों से सीखने और अधिक से अधिक ऊंचाइयों को प्राप्त करने के लिए ज्ञान, इन्फ्रास्ट्रक्चर, सर्वोत्तम प्रथाओं और एसओपी आदि को साझा करने के लिए एक मंच बनाना है।

यह पोर्टल केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के 11 लाख से अधिक उपयोगकर्ताओं तक पहुंच के माध्यम से कुशलता, गति और पैमाने में वृद्धि करने के उद्देश्य से केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के सभी उद्यमों को एक मंच पर लाता है। सीआईएल ज्ञान प्रबंधन पोर्टल पर समय–समय पर सर्वोत्तम प्रथाओं, नीतियों आदि को अद्यतन कर रहा है।

जन विकास पहल और सामाजिक सुरक्षा उपाय

i. **उपदानः** सेवानिवृत्ति पर कर्मचारी निर्धारित मानकों के अनुसार गणना किए जाने पर 20 लाख रुपए तक का उपदान प्राप्त करते हैं।

ii. **सीएमपीएफः**सभी कर्मचारियों को कोयला खान भविष्य निधि के अंतर्गत शामिल किया जाता है जो अंशदायी निधि है जिसमें कर्मचारी और कंपनी द्वारा बराबर–बराबर अंशदान किया जाता है।

iii. **कोयला खान पेंशन स्कीम (सीएमपीएस) :** सभी कर्मचारियों को पेंशन योजना के तहत शामिल किया जाता है जिसके अंतर्गत उन्हें सेवानिवृत्ति के उपरांत मूल वेतन की 25% राशि मासिक पेंशन के रूप में मिलती है। कर्मचारी की मृत्यु हो जाने की स्थिति में उनके आश्रित पेंशन प्राप्त करने के हकदार होते हैं।

iv. **सेवा निवृत्ति के पश्चात चिकित्सा सहायता :** सीआईएल ने कर्मचारियों और उनके पति/पत्नी को स्वास्थ्य सहायता प्रदान करने के लिए अपने 2.86 लाख कर्मचारियों के लिए सेवा निवृत्ति के बाद चिकित्सा योजना शुरु की है। कुछ शर्तों के अधीन यह योजना गैर–कार्यपालकों तथा कार्यपालकों को साधारण मामलों मे इनडोर तथा आउटडोर इलाज के लिए क्रमशः 8 लाख रुपए और 25 लाख रु. के चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति करती है और हृदय रोग, कैंसर, गुर्दे की बीमारी तथा मस्तिष्क संबंधी विकार, एचआईवी–एड्स व सांघातिक रक्ताल्पता/ अधिवृक्क हिस्टोप्लास्मोसिस, जैसी गंभीर बिमारियों और गंभीर दुर्घटनाओं तथा मस्तिष्क ज्वर के मामलों में वास्तविक के आधार पर सहायता दी जाती है। सीआईएल का उद्देश्य अधिप्रमाणन के प्रयोजनार्थ और आधार ब्यौरों से जोड़ते हुए बायोमैट्रिक डाटा के साथ स्मार्ट काड्र्स के माध्यम से कैश–लेस उपचार शुरु करना भी है।

v. **अधिवार्षिता पेंशन योजनाः** डीपीई के दिशा–निर्देशों के अनुसार सीआईएल ने सभी बोर्ड स्तर और बोर्ड स्तर से नीचे के कार्यकारी अधिकारियों को सेवानिवृत्ति के बाद वार्षिकी रूप में अधिवार्षिता लाभ देने के लिए एक अधिवार्षिता पेंशन योजना तैयार की है। इसे 01.01.2007 से पूर्वव्यापी प्रभाव से कार्यान्वित किया गया है।

vi. **कर्मचारी मुआवजाः** ड्यूटी के दौरान मृत्यु/विकलांगता की स्थिति में कर्मचारी मुआवजा अधिनियम के तहत मौद्रिक क्षतिपूर्ति प्राप्त करने के हकदार हैं। इसके अलावा, कम्पनी घातक खान दुर्घटना के मामले में 90,000 रुपए उपदान के रुप में और 5 लाख रुपए मुआवजे के रूप में अतिरिक्त प्रदान करती है।

vii. **जीवन बीमा योजना:** सेवा के दौरान किसी कर्मचारी की मृत्यु हो जाने की स्थिति में कर्मचारी के आश्रित जीवन बीमा योजना के तहत 1,25,000 रु. की राशि प्राप्त करने के हकदार होते हैं।

viii. **आश्रित सदस्य को रोजगार:** सेवा के दौरान किसी कर्मचारी की मृत्यु होने/विकलांग होने की स्थिति में उसके आश्रितों में से कोई एक सदस्य कम्पनी में नौकरी पाने का हकदार है।

शिकायत प्रबंधन

कम्पनी में स्टेकधारकों अर्थात कर्मचारियों, उपभोक्ताओं तथा अन्यों की शिकायतों के निपटान के लिए एक मजबूत आन लाइन स्टेकधारक शिकायत प्रबंधन प्रणाली मौजूद है। इस नीति के अंतर्गत सभी शिकायतों को 10 दिनों के भीतर निपटाया जाता है तथा स्टेकधारकों को तदुनसार सूचित किया जाता है। 31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार सेबी स्कोर्स में दो मामले लम्बित थे जिनका समाधान कर दिया गया है। 31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार सीआईएल के पी.जी.पोर्टल में कोई शिकायत लम्बित नहीं है।

सीआईएल की पुनर्स्थापन और पुनर्वास नीति

कोल इंडिया ने वर्ष 1994, 2000, 2008 और 2012 में प्रतिस्पर्धी बाजार में परियोजना प्रभावित व्यक्तियों की बदलती आकांक्षाओं के मद्देनजर और भूमि के तेजी से अधिग्रहण के लिए कोल इंडिया लिमिटेड की सहायक कंपनियों की अनूठी समस्याओं के निवारण के लिए आर एंड आर नीति तैयार की। सहायक कंपनियों के बोर्ड द्वारा स्थानीय स्थितियों के अनुकूल कुछ संशोधनों के अध्यधीन सीआईएल की सहायक कंपनियों द्वारा (एमसीएल को छोड़कर) सीआईएल की आरएंडआर नीति के तहत आरएंडआर कार्यकलाप किए गए थे जबकि एमसीएल ओडिशा सरकार की आरएंडआर नीति का अनुसरण करता है।

भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 को निरस्त कर दिया गया है और भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्निपटान अधिनियम, 2013 (आरएफसीटीएलएआरआर अधिनियम, 2013) में उचित मुआवजा और पारदर्शिता के अधिकार को दिनांक 01.01.2014 से लागू किया गया है। केंद्र सरकार द्वारा 28.08.2015 को आरएफसीटीएलएआरआर (कठिनाइयों के दूर करना) आदेश, 2015 का मुद्दों के संबंध में सीबीए (एएंडडी) अधिनियम, 1957 के तहत अधिग्रहित भूमि के लिए आरएंडआर लाभ और बुनियादी सुविधाएं आरएफसीटीएलएआरआर अधिनियम, 2013 की अनुसूची I,II और III के अनुसार प्रदान की जानी है।

अधिकांश मामलों में, सहायक कंपनियां खनन और संबद्ध गतिविधियों के लिए सीबीए (एएंडडी) अधिनियम, 1957 के तहत भूमि का अधिग्रहण कर रही हैं जो खनन के लिए सख्ती से प्रासंगिक हैं।

कोयला मंत्रालय ने दिनांक 26.11.2015, 04.08.2017 और 30.03.2018 के तीन पत्रों द्वारा स्पष्टीकरण जारी किया है। कोयला मंत्रालय ने यह भी स्पष्ट किया है कि धारा 26 और आरएफसीटीएलएआरआर अधिनियम 2013 के अन्य संबंधित प्रावधानों के अनुसार निर्णय लेने के लिए कलेक्टर सक्षम प्राधिकारी होंगे।

सीआईएल के सीएमडी की 123वीं बैठक के दौरान यह विचार–विमर्श किया गया था कि सीआईईल की आर एंड आर नीति, 2012 के अनुसार प्रत्येक सहायक कंपनी को संबंधित सहायक कंपनी के बोर्ड के अनुमोदन से संबंधित कंपनी में चल रही अनन्य स्थितियों और वास्तविकताओं को ध्यान में रखते हुए मुआवजे और आरएंडआर मुद्दों पर निर्णय लेने का अधिकार है।

दिनांक 28.08.2015 के आरएफसीटीएलएआरआर (कठिनाइयों को दूर करना) आदेश के तदनुसार, अधिनियमन और बाद में इस संबंध में कोयला मंत्रालय द्वारा जारी किए गए स्पष्टीकरणों पर भी चर्चा की गई थी। उपरोक्त के अनुसार, सभी सहायक कंपनियों को उनके प्रावधानों का पालन करना आवश्यक है। यह भी चर्चा की गई थी कि सहायक कंपनियां यदि आवश्यक हो, तो संबंधित सहायक कंपनी के बोर्ड के अनुमोदन के अधीन उक्त अधिनियम/आदेश से अधिक लाभ प्रदान करने पर विचार कर सकती है।

पर्यावरण की देखभाल

कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) निरंतर पर्यावरण तथा सामाजिक मुद्दों पर इन खनन कार्यकलापों से होने वाले प्रभावों का निदान करती हैं। सभी खनन क्षेत्रों में पर्यावरण अनुकूल खनन प्रणालियों को कार्यान्वित किया गया है। सीआईएल की खानों में अधिक संख्या में सतही खनिकों और कंटीन्यूअस खनिकों को लगाए जा रहा हैं। सीआईल ने वर्ष 2018–19 में अपने कोयला उत्पादन का लगभग 47% उत्पादन सतही खनिकों के माध्यम से किया है। पर्यावरणीय उपशमन उपायों को और अधिक पारदर्शी बनाने के लिए सीआईएल की सहायक कंपनियां सभी ओपनकास्ट परियोजनाओं के लिए भूमि के पुनरुद्धार और पुनर्स्थापन की निगरानी के लिए अत्याधुनिक सेटेलाइट निगरानी का उपयोग कर रही है।

'स्वच्छ एवं हरित' कार्यक्रम के एक भाग के रूप में सीआईएल द्वारा जहां कहीं भी जमीन उपलब्ध है, बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण किया जा रहा है। वर्ष 2018–19 में ही, सीआईएल की सहायक कंपनियों द्वारा खनन लीज होल्ड क्षेत्रों में 18,16,070 पौधे और खान लीज क्षेत्र से बाहर 3,60,600 पौधे लगाये हैं। सीआईएल द्वारा अपनी शुरुआत से वर्ष 2018–19 तक योजनाबद्ध पर्यावरण प्रबंधन आयोजनाओं और निरंतर विकास कार्यकलापों के माध्यम से लगभग 38,374 हेक्टेयर क्षेत्र में खान लीज क्षेत्र के अंदर 97.6 मिलियन वृक्षारोपण किया गया है। खनन गतिविधियों के कारण धूल की उत्पत्ति को नियंत्रित करने के लिए सीएमपीडीआईएल द्वारा विंड ब्रेक और वर्टिकल ग्रीनरी प्रणाली की अवधारणा विकसित की गई है और यह गेवरा ओसीपी में कार्यान्वयन के तहत है। खनन क्षेत्रों में खनन गतिविधियों के कारण उत्पन्न होने वाली धूल को दबाने के लिए मिस्ट स्प्रेयर, फॉग कैनन, फिक्स्ड और मोबाइल स्प्रिंकलर परिचालन में हैं।

एनएलसी इंडिया लिमिटेड (एनएलसीआईएल)

एनएलसी इंडिया लिमिटेड (एनएलसीआईएल) 14 नवम्बर, 1956 को एक कंपनी के रूप में पंजीकृत हुई और तत्कालीन प्रधानमंत्री द्वारा 20 मई, 1957 को खान–I में खनन प्रचालनों का औपचारिक उद्‌घाटन किया गया था। एनएलसी इंडिया लिमिटेड (एनएलसीआईएल) को अप्रैल 2011 से **'नवरत्न'** का दर्जा दिया गया है।

एनएलसी इंडिया लि. की वर्तमान खनन क्षमता 30.6 एमटीपीए है तथा मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार विद्युत उत्पादन क्षमता 4834.5 मे.वा. है। एनएलसी इंडिया लि. की सभी खानों एवं विद्युत स्टेशनों को गुणवत्ता प्रबंधन प्रणालीए पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली एवं व्यावसायिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली के लिए **आईएसओ प्रमाणीकरण** प्राप्त है।

प्राधिकृत पूंजी

एनएलसी की प्राधिकृत पूंजी 2000 करोड़ रुपए है तथा प्रदत पूंजी 1386.64 करोड़ रु.(बाई बैक–2018 के बाद) है। 31.03.2018 की स्थिति के अनुसार भारत सरकार द्वारा किया गया निवेश निम्नानुसार है:

निवेश	(करोड़ रु. में)
इक्विटी – भारत सरकार का हिस्सा%	1386.64 (बाई बैक–2018 के बाद)
भारत सरकार से ऋण (उपार्जित ब्याज सहित)	शून्य

उत्पादन कार्य–निष्पादन (एनएलसीआईएल)

वर्ष 2018–19 के दौरान ओवरबर्डन रिमूवल, लिग्नाइट उत्पादन, सकल विद्युत उत्पादन और विद्युत निर्यात के आंकड़े नीचे तालिका में दर्शाए गए हैं:

उत्पादन	यूनिट	ब.अ. 2018–19	2018–19		जनवरी, 2018 से मार्च, 2019 (वास्तविक)
			लक्ष्य	वास्तविक	
ओवरबर्डन	एम एम^3	144.50	144.50	170.90	221.75
लिग्नाइट	एम टी	24.69	24.69	24.25	32.97
विद्युत सकल	एम यू	22000.00	22000.00	20673.52	26140.85
विद्युत निर्यात	एम यू	18810.00	18810.00	17502.78	22111.51

वर्ष 2018-19 के लिए कार्य-निष्पादन

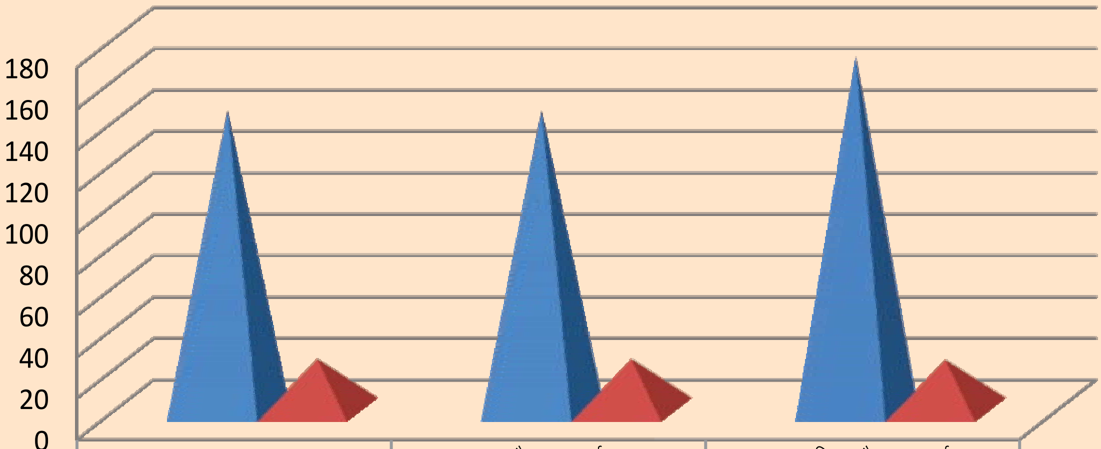

	ब.अ. 2018-19	लक्ष्य अप्रैल 18–मार्च 19	वास्तविक अप्रैल 18–मार्च 19
ओबी (एमएम3)	144.5	144.5	170.9
लिग्नाईट (मि.ट.)	24.69	24.69	24.25

जनवरी 2018 से मार्च, 2019 तक के दौरान कार्य-निष्पादन

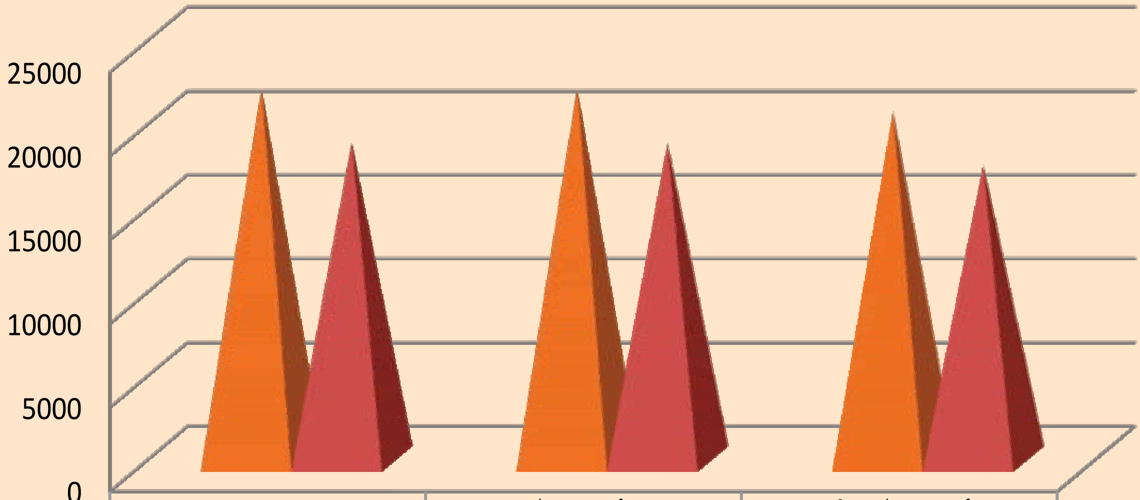

	ब.अ. 2018-19	लक्ष्य अप्रैल 18–मार्च 19	वास्तविक अप्रैल 18–मार्च 19
सकल (एमयू)	22000	22000	20673.52
निर्यात (एमयू)	18810	18810	17502.78

यदि छोड़ दी गई 1892.697 एमयू विद्युत को जोड़ा जाता है, तो 2018–19 तक की अवधि के लिए सकल विद्युत उत्पादन 22566.22 एमयू होगा जो कि 102.57% (93.97% के वर्तमान स्तर की तुलना में) की उपलब्धि है।

उत्पादकता

2017–18 और 2018–19 में उत्पादकता निष्पादन (प्रति–पाली उत्पादन–ओएमएस):

ओएमएस	यूनिट	2017–18 वास्तविक	2018–19	
			लक्ष्य	वास्तविक
खानें	टन	13.14	13.23	14.14
तापीय	कि.वा. /घंटा	24755	24811	26194

संयंत्र लोड फैक्टर (पीएलएफ)

2017–18 तथा 2018–19 के दौरान टीपीएस–I, टीपीएस–I विस्तार, टीपीएस–II, टीपीएस–II विस्तार और बरसिंगसर टीपीएस द्वारा प्राप्त किया गया पीएलएफः–

पीएलएफ	2017-18	2018-19	
		लक्ष्य	वास्तविक
टी.पी.एस.I	64.29	69.34	64.74
टी.पी.एस.I ई	88.26	80.02	80.17
टीपीएस–II	79.67	75.00	83.44
टीपीएस–IIई	45.84	75.00	44.09
बरसिंगसर टीपीएस	75.26	80.00	61.97

सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लि.(एससीसीएल)

सिंगरेनी कोलिरीज कंपनी लि. तेलंगाना सरकार और भारत सरकार का एक संयुक्त उद्यम है जिसमें इक्विटी पूंजी भागीदारी क्रमशः 51:49 है। एससीसीएल अखिल भारत कुल उत्पादन में लगभग एससीसीएल का योगदान 9% है।

कोयला उत्पादन

वर्ष 2018–19 के लिए उत्पादन लक्ष्य और उपलब्धि निम्नानुसार हैः–

लक्ष्य (मि.ट.)	वास्तविक (मि.ट.)	% उपलब्धि
65.00	64.40	99.1

कोयला प्रेषण

वर्ष 2018–19 के लिए प्रेषण लक्ष्य और उपलब्धि निम्नानुसार हैः–

लक्ष्य (मि.ट.)	वास्तविक (मि.ट.)	% उपलब्धि
67.00	67.67	101

उत्पादकता (ओएमएस)

वर्ष 2018–19 के लिए उत्पादकता लक्ष्य और उपलब्धि निम्नानुसार हैः–

लक्ष्य (मि.ट.)	वास्तविक (मि.ट.)	% उपलब्धि
5.75	6.23	108

जनशक्ति

31.03.2019 की स्थिति के अनुसार एससीसीएल में 1345 महिला कर्मचारी सहित 48942 कर्मचारी है।

2 x 600 मे.वा. सिंगरैनी थर्मल पावर स्टेशन तेलंगाना के मंचेरियल जिले में प्रचालनरत है। वर्ष 2018–19 के दौरान सकल विद्युत उत्पादन 8686 एमयू और ग्रिड को निवल निर्यात 8211 एमयू है। एससीसीएल ने तेलंगाना में एससीसीएल के कमान क्षेत्र में विभिन्न स्थानों पर 229 मे.वा. के सोलर पावर प्लांट स्थापित करने का प्रस्ताव किया है।

एससीसीएल में रोजगार के अवसरः एससीसीएल द्वारा बाह्य और आंतरिक संसाधनों के माध्यम से रिक्तियों को भरने हेतु व्यापक अभियान चलाए जा रहे हैं। तेलंगाना का गठन (जून,14) हो जाने के बाद अभी तक 9,798 व्यक्तियों को रोजगार प्रदान किया गया। वर्ष 2018–19 के दौरान 2868 व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध कराया गया।

पौधरोपण: एक अग्रणी कार्यक्रम 'तेलंगाना कु हरिथा हरम' के भाग के रुप में एससीसीएल ने 2018–19 के दौरान 588 हेक्टेयर क्षेत्र में 90 लाख पौधे लगाए हैं।

पूर्वोत्तर क्षेत्र में विकास कार्यकलाप

उत्तर पूर्वी क्षेत्र के कोयला क्षेत्रों में प्रतिकूल भू–खनन स्थिति है, जिसमें सीम का उच्च झुकाव, प्रकृति में नरम और प्रकृति में अत्यधिक गैस है। सामान्य रूप से कोयले की सीम में उच्च सल्फर है। तथापि, सल्फर अंश के अलावा, नॉर्थ ईस्ट कोलफील्ड्स (एनईसी) के कोयले में उच्च कैलोरीफिक वैल्यू है और इसे जी1–जी6 के बीच वर्गीकृत किया गया है।

पूर्वोत्तर क्षेत्र में, कोल इंडिया लिमिटेड के मुख्य खनन कार्यकलाप असम के माकूम कोल फील्ड में है। वर्ष 2018–19 में 4 खानें प्रचालनरत थी। ये हैः– तीरप, तिकाक, लेडो (ओसीपी) तथा तिपोंग हैं। इन खानों में से तीरप, तिकाक और लेडो ओसीपी ओपनकास्ट खानें हैं जबकि तिपोंग भूमिगत खान है।

ओपन कास्ट खानों में 4 (चार) प्रमुख आउटसोर्सिंग पैचेज हैं। ये हैं तिराप (ईस्ट), तिराप (वेस्ट), तिकाक (वेस्ट) और लीडो ओसीपी। लीडो ओसीपी वित्तीय वर्ष 2008–09 में शुरु की गई थी। इस खान से उत्पादन में बहुत ही कम योगदान रहा है। सुरक्षा कारणों से इस खान में कार्य बंद कर दिए गए हैं। एसईसी का समग्र ओपनकास्ट उत्पादन आउटसोर्स किया जाता है। पिछले 5 (पांच) वर्षों के लिए एनईसी का कोयला उत्पादन नीचे दर्शाया गया हैः–

(लाख टन में)

वर्ष	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
एनईसी का कोयला उत्पादन	7.79	4.86	6.00	7.81	7.84

वर्ष 2018–19 में एनईसी ने 7.84 लाख टन उत्पादन किया है।

वर्ष 2018–19 में एनईसी ने दो नई परियोजनाओं के लिए असम सरकार को स्तर–I वनापत्ति मंजूरी के अनुपालन की रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। ये हैंः– टीकोक विस्तार ओसीपी और लेखपानी ओसीपी।

एनईसी का कार्य निष्पादन (01.01.2018 से 31.03.2019 तक)

(लाख टन)

कोयला उत्पादन	01.01.2018 से 31.03.2018 तक	01.04.2018 से 31.03.2019 तक	01.01.18 से 31.03.19 तक कुल
भूमिगत	0.01	0.000	0.01
ओपन कास्ट	4.25	7.84	12.09
योग	**4.26**	**7.84**	**12.10**
ओएमएस	**01.01.2018 से 31.03.2018 तक**	**01.04.2018 से 31.03.2019 तक (अनंतिम)**	
भूमिगत	0.04	0.000	
ओपन कास्ट	9.19	4.67	
योग	**6.17**	**3.16**	
कोयले का प्रेषण/उठान			
प्रेषण/उठान	**01.01.2018 से 31.03.2018 तक**	**01.04.2018 से 31.03.2019 तक**	
प्रेषण	3.98	7.54	
घरेलू खपत	0.00	0.00	
कुल उठान	**3.98**	**7.54**	

पिट हेड भंडार

31/03/2018 की स्थिति के अनुसार : 0.69 लाख टन

31/03/2019 की स्थिति के अनुसार : 0.99 लाख टन

पिछले पांच वर्षों के दौरान एनईसी का कार्य निष्पादन

यद्यपि विगत में कुछ वर्षों को छोड़कर एनईसी घाटे में चल रही थी, किन्तु इसने पिछले कुछ वर्षों में अपने उत्पादन में वृद्धि करके और अपने संसाधनों का उपयोग करके अपने घाटे में कमी करना शुरू कर दिया है। भूमिगत कोलियरिज वर्ष 2005–06 से निरंतर घाटे में चल रही है। पिछले पांच वर्षों के लिए एनईसी की लाभप्रदता नीचे तालिका में दी गई हैः–

(लाख रु.में)

खान	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
तिपोंग(यूजी)	(-)5279.12	(-)6698.94	(-)6473.28	(-)6841.20	(-)7756.39
लेडो(यूजी)	(-)1464.79	(-)1446.81	-	-	-
बरगोलाई(यूजी)	(-)2934.05	(-)3033.63	(-)2819.03	-	-
जयपोर(यूजी)	(-)122.02	(-)100.68	(-)140.32	(-)112.26	-
तिरप (ओसी)	(+)10718.88	(+)10282.01	(-) 131.73	(-)1566.79	(+)401.13
तिकाक (ओसी)	(+)1.78	(+)5075.65	(+)1443.27	(-)3770.64	(-)2864.67
लेडो ओसी	(+)2306.24	(-)1160.10	(+)2149.18	(-)65.49	(-)1886.22
सर्विस यूनिट	(+)31.20	-	-	-	-
कुल एनईसी	(+)3258.12	(+)2917.51	(-)5971.91	(-)12356.38	(-)12106.15

एनईसी का उत्पादन कार्यक्रम

एनईसी में वर्तमान में 3 कार्यशील खानें हैं जिनमें से 2 ओपनकास्ट खान हैं तथा एक भूमिगत खान है। वित्त वर्ष 2018–19 के दौरान एनईसी का उत्पादन 7.84 लाख टन था। वित्त वर्ष 2019–20 के लिए आशा है कि एनईसी 8.0 लाख टन उत्पादन करेगा।